रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 1971, श्रसाढ 21, 1893

N. 119] NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 1971/ASADHA 21, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July 1971

G.S.R. 1037.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of the said section, namely:—

1. These rules may be called the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Amendment Rules, 1971.

2. In rule 4 of the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4) No charges shall be payable by a Member for an additional cord not exceeding eight metres in length or a plug and socket added to a telephone installed under sub-rule (1) or sub-rule (3)."

[No. RS. 8/71-M S.A.]

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1971

सा० का० नि० 1037.—संसद सदस्यों के संबलमों और भत्तों से संबन्धित अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् आवास और टेलीफोन सुविधा (संसत्सदस्य) नियम 1956 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है जो उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा अपेक्षानुसार राज्य सभा के अध्यक्ष और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट हो गए हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम आवास और टेलीफोन सुविधा (संसत्सदस्य) संशोधन नियम, 1971 होगा।

2. आवास और टेलीफोन सुविधा (संसत्सदस्य) नियम 1956 के नियम 4 में उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) किसी भी सदस्य द्वारा उपनियम (1) या उप नियम (3) के अधीन लगाए गए टेलीफोन के साथ जोड़े गए ऐसे अतिरिक्त कार्ड के लिए जो लम्बाई में आठ मीटर से अधिक न हो या प्लग और साकेट के लिए कोई प्रभार देय नहीं होंगे।"

[सं० आर० एस० 8/71-एम० एस० ए०]

बी० एन० बनर्जी, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971